न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 05/2022

प्रार्थी

1. श्री दुर्गाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री जोगाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत नई धनारी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. स्व. श्री आईदानराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार के वारिसान व कायम मुकाम–

2.1 श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री आईदानराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2 श्री मीतेश कुमार पुत्र स्व. श्री आईदानराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.3 श्रीमती पंकुदेवी पत्नि स्व. श्री आईदानराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.4 श्रीमती नर्बदादेवी पुत्री स्व. श्री आईदानराम पत्नि श्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हिम्मतसिंह, अधिवक्ता अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री भैरूपालसिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नई धनारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्री आईदानराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई, परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम क्रमशः 2.1 से 2.4 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं प्रकरण में पूर्व में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री गणेशाराम के जीवन काल में 60×30 (1800 वर्गफुट) भूखण्ड का बंटवारा प्रार्थी के तीनो भाई श्री आईदानाराम, श्री दुर्गाराम एवं श्री जोगाराम के हक में प्रत्येक के हक में 600 वर्गफीट का किया गया था एवं पक्षकारान के बीच हुए बंटवाड के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो ने उसके हिस्से में आए कुल 600 वर्गफुट भूखण्ड पर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ है तथा वहां पर परिवार सहित निवास कर रहा है। इसी प्रकार प्रार्थीगण ने भी अपने–अपने हिस्से में आए भूखण्ड पर कच्चा केलुपोश निर्माण किया हुआ था, जो वर्तमान में जर्जर होने के कारण ढह गया। इस प्रकार वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण के खाली भूखण्ड मौजूद है, जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा प्रार्थीगण ही बतौर स्वामी इन भूखण्डों का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री आईदानराम ने प्रार्थीगण के उक्त मालिकी स्वामित्व के भूखण्ड को अपना निर्मित मकान होना मानते हुए ग्राम पंचायत से अवैध रूप से पट्टा बनाने के लिए दिनांक 01.12.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो का पुराना सम्पूर्ण भूखण्ड पर कोई कब्जा व मकान नहीं होते हुए भी गलत रूप से वार्ड पंच श्री सुजाराम, श्री खेताराम वी पटेल व श्री लसाराम द्वारा मौका देखने की रिपोर्ट बताते हुए प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने व प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि को हडप करने के लिए अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में बिना किसी आधार के उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व की है, उक्त संयुक्त भूमि का अकेले अप्रार्थी संख्या दो के नाम ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि प्रार्थीगण अपने पुराने जर्जर अवस्था में गिरे हुए मकान का मलबा हटाकर नए निर्माण हेतु नींव भरने लगे तब अप्रार्थी संख्या दो व उसकी पत्नि प्रार्थीगण के साथ झगडा फसाद करने पर उतारू होने लगी, तब प्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध में पुलिस थाना सरूपगंज में रिपोर्ट की, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने पुलिस थाना में पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की, तब प्रार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त पट्टे के सम्बन्ध में जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत नई धनारी में उपस्थित होकर उक्त पट्टे की मिसल व अन्य दस्तावेजात की नकलें प्राप्त की, तब प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थीगण के भूखण्डों को भी गलत रूप से शामिल बताते हुए उसके [illegible] निर्मित मकान के साथ–साथ प्रार्थीगण के भूखण्डों का भी पट्टा बनवा [illegible] है [illegible] अप्रार्थी संख्या एक ने भी जानते बूझते गलत रूप से उक्त पट्टा नियम 157 (ख) के तहत जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 को निरस्त करना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:54 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह द्वारा प्रकरण में वकालतनामा तो प्रस्तुत किया गया, परन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही उनके द्वारा बहस हेतु नियत तारीख पेशी पर उपस्थिति दी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम क्रमशः 2.1 से 24. की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया है। यह है कि 60×30 कुल 1800 वर्गफुट का भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के स्वतंत्र मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड था, जिसमें 600 वर्गफुट पर अप्रार्थी संख्या दो का पक्का मकान व 600 वर्गफुट में मकान निर्माण की नींव भरी हुई है एवं शेष 600 वर्गफुट पर कांटों की बाड लगी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के पिता स्व. श्री गणेशाराम के गांव में 60×30 वर्गफीट के दो भूखण्ड थे जो प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री गणेशाराम ने मिलकर बेचान कर दिए थे तथा प्रार्थीगण की नियत में खोट आने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या दो के स्वतंत्र स्वामित्व के 60×30 कुल 1800 वर्गफुट के भूखण्ड को मनगढ़न्त रूप से सामलाती बताते हुए हिस्सा हडपना चाहते है। यह है कि विवादित भूमि 60×30 वर्गफीट पर अप्रार्थी संख्या दो का स्वतंत्र स्वामित्व एवं उपयोग व उपभोग का भूखण्ड है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो का परिवार निवास करता था एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसदार निवासरत है एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत धनारी में नियमानुसार आवेदन कर तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार करके ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थीगण पुराने जर्जर गिरे हुए मकान का मलबा हटाकर नए निर्माण हेतु नींव भरने हेतु नहीं बल्कि अप्रार्थी संख्या दो को उसके पट्टेशुदा स्वतंत्र स्वामित्व के भूखण्ड से जबरन बेदखल करने आए थे तब अप्रार्थी संख्या दो बाहर गया हुआ होने से प्रार्थीगण द्वारा मरने मारने पर उतारू होने तथा जबरन कब्जा लेने पर उतारू होने पर अप्रार्थी संख्या दो की पत्नि श्रीमती पंकू ने प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सरूपगंज में रिपोर्ट दी तथा पट्टे की कॉपी पेश की। यह है कि ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ही पट्टा जारी किया गया है और प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस एवं प्रस्तुत जबाव एवं न्यायालय पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो स्व. श्री आईदानराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को उक्त विवादित पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 सरपंच ग्राम पंचायत, नई धनारी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री गणेशाराम के जीवन काल में 60×30 (1800 वर्गफुट) भूखण्ड का बंटवारा प्रार्थी के तीनो भाई श्री आईदानाराम, श्री दुर्गाराम एवं श्री जोगाराम के हक में प्रत्येक के हक में 600 वर्गफीट का किया गया था एवं पक्षकारान के बीच हुए बंटवाड के अनुसार अप्रार्थी [illegible] उसके हिस्से में आए कुल 600 वर्गफुट भूखण्ड पर पक्का निर्माण कार्य कि[illegible] हुआ था तथा प्रार्थीगण ने भी अपने–अपने हिस्से में आए भूखण्ड पर [illegible] जो वर्तमान में जर्जर होने के कारण ढह गया। [illegible] पर प्रार्थीगण के खाली भूखण्ड मौजूद है, जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है त[illegible] प्रार्थीगण ही बतौर स्वामी इन भूखण्डों का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। लेकिन अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत से मेलजोल कर सम्पूर्ण भूमि का पट्टा अपने नाम से जारी करवा लिया। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो का 60×30 कुल 1800 वर्गफुट का स्वतंत्र मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिसे अप्रार्थी संख्या दो ने अपने तीनों पुत्रों के लिए प्रत्येक को 600 वर्गफीट के हिसाब से तीन भूखण्ड बनाए हुए थे, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा 600 वर्गफुट में पक्का मकान व 600 वर्गफुट में मकान निर्माण की नींव भरी हुई है एवं शेष 600 वर्गफुट पर कांटों की बाड लगी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के पिता स्व. श्री गणेशाराम के गांव में 60×30 वर्गफीट के दो भूखण्ड थे जो प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री गणेशाराम ने मिलकर बेचान कर दिए थे। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के पिता स्व. श्री गणेशाराम के गांव में 60×30 वर्गफीट के दो भूखण्ड थे जो प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री गणेशाराम ने मिलकर बेचान कर दिए थे, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण के पास 60×30 वर्गफीट के अन्य दो भूखण्ड थे, जो उनके द्वारा बेचान कर दिए गए है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड था, जिस पर पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति के निपटारे के मामले में सभी उत्तराधिकारियों से सहमति पत्र या लिखित बंटवारा पत्र प्राप्त करना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार का सहमति पत्र या लिखित बंटवाड पत्र लिया गया हो और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने पट्टे के आवेदन में स्वयं ने स्वीकार किया है कि मकान 15 वर्ष पुराना है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 31.12.1996 से प्रभावी है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार–
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख)– 31.12.1996 से ठीक पूर्ववर्ती 50 वर्ष के दौरान = 200 रुपए संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

इस प्रकार विवादित पट्टा की प्रक्रिया उक्त नियम में परिभाषित नहीं होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा पट्टा सम्पूर्ण भूखण्ड 1800 वर्गफुट में मकान निर्मित मानकर जारी किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में केवल 600 वर्गफुट भूखण्ड पर मकान निर्मित होना स्वयं के द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायत नियम 157 (ख) के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को उसके कब्जे की आबादी भूमि जिसमें निर्मित भवन सम्मिलित हो, अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग में आने वाली कब्जेशुदा भूमि को सम्मिलित करते हुए जो भी कम हो, का पट्टा जारी किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 157(ख) की ग्राम पंचायत द्वारा पालना किया जाना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो स्व. श्री आईदानराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 984 [illegible] 1800 को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति [illegible] निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत [illegible] के हक में जारी पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.20[illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner